

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मु.अभि. / 2012-13 / 65


दिनांक : 25-6-2012

परिपत्र

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित आवासों/फ्लैटों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा कार्यकुशलता निर्धारित मापदण्डों अनुसार सुनिश्चित करने हेतु अनुबन्ध के प्रत्येक आवास/फ्लैट का निरीक्षण संलग्न निर्धारित चैक स्लिप के अनुसार किया जावे। निरीक्षण के समय निर्माण कार्य की गुणवत्ता व कार्यकुशलता में रही कमियों का आवास/फ्लैटवार चैक स्लिप में इन्द्राज कर अन्तिम बिल से पूर्व निरीक्षण के समय चैक स्लिप अनुसार पाई गई कमियों के दूर किये जाने का इन्द्राज भी संबंधित आईटम के साथ अंकित किया जाकर ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा कार्यकुशलता सुनिश्चित कर अन्तिम बिल का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।


उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

संलग्न :- चैक स्लिप का प्रारूप


मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-I/II/III/P&M, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. तकनीकी सहायक-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त
5. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


मुख्य अभियन्ता